संख्या- 43 /2020/ 2164/71-4-2020-एस-63/2015

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ :दिनाँक 22 दिसम्बर, 2020

विषय -: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अर्बन डेवलपमेन्ट मास्टर प्लान हेतु वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-41/2020/1445/71-4-2020-एस-63/2015 दिनांक 18/12/2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत अर्बन डेवलपमेन्ट मास्टर प्लान हेतु धनराशि रू0 6732.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 से धनराशि रू0 673.206 लाख (रूपये छः करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार छः सौ मात्र) अवमुक्त् किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश संख्या-41/2020/1445/71-4-2020-एस-63/2015 दिनांक 18/12/2020 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों में कुछ शर्तें त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयी हैं।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-41/2020/1445/71-4-2020-एस-63/2015 दिनांक 18/12/2020 के प्रस्तर-3 में बिन्दु संख्या-1 से 19 तक उल्लिखित शर्तों के स्थान पर निम्नलिखित शर्तों को रखा जाता है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2. अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3. प्रायोजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-68/2016/2178/71-2-16-एस-63/2015 दिनांक 24/05/2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों तथा भवन निर्माण संबंधी नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। ।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
6. Department of Civil Engineering Motilal Nehru National Institute of Technology Prayagraj द्वारा उपलब्ध करायी गयी थर्ड पार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट में इंगित कमियों का निराकरण कराया जायेगा।
7. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- कृपया तदद्नुसार आवश्यक/अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। शासनादेश दिनांक 18/12/2020 में वर्णित शेष तथ्य यथावत रहेंगें।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-43 /2020/ 2164/(1) तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबंधक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/इटावा।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।